

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 1(1)साप्र/2/2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 01-08-2018

:- आदेश :-

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(1)साप्र/2/2018 पार्ट दिनांक 05.07.2018 द्वारा श्री एल.डी. किराडू, विशिष्ट न्यायाधीश, जयपुर बम ब्लास्ट केसेज, जयपुर को अस्थायी रूप से राजकीय आवास संख्या बी-612, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर आवण्टित किया गया था। सक्षम स्तर के अनुमोदन उपरान्त श्री किराडू को आवण्टित उक्त आवास का आवण्टन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मा० राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
5. श्री एल.डी. किराडू, विशिष्ट न्यायाधीश, जयपुर बम ब्लास्ट केसेज, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या एफ 18002765 दिनांक 31.07.2018 के क्रम में।
7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
8. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर शहर, जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर शहर, जयपुर।
16. उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, चौकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें, साथ ही आपण्टी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय को भी भिजवावें।
19. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
20. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव